अध्याय 2
खनन पट्टों का आवंटन

अध्याय 2 खनन पट्टों का आवंटन

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 बनाया, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अनुसार, रैयती भूमि पर तीन हेक्टेयर तक के पत्थर, मोरम और मिट्टी के संबंध में पट्टा, उपायुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है और अन्य मामलों में लघु खनिजों के पट्टे, चाहे उनका क्षेत्रफल और भूमि का स्वामित्व कुछ भी हो, झारखण्ड सरकार द्वारा बनाया गया (16 अगस्त 2017 को अधिसूचित) झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत निदेशक, खान द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

2.1 लघु खनिजों के पट्टों की स्वीकृति (गैर-नीलामी मामले)[9]

आयुक्तों द्वारा गैर-नीलामी मामलों में लघु खनिजों के खनन पट्टे स्वीकृति करने के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया को प्रवाह चार्ट के माध्यम से **चार्ट-2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.1: लघु खनिजों के लिए गैर-नीलामी मामलों में खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

लघु खनिजों का खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र "ए" में आवेदन जिला खनन पदाधिकरी (जि.ख.प.) को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन की पूर्णता की जाँच करने के बाद, जि.ख.प. आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसे स्वीकार या बिलकुल अस्वीकार कर सकता है।

↓

आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के अन्दर, वन विभाग, भूमि राजस्व विभाग से आवश्यक सत्यापन तथा संबंधित ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, जि.ख.प. आशय का पत्र निर्गत करता है, अन्यथा कालबाधित होने के बाद आवेदन अस्वीकृत माना जाता है।

↓

खनन पट्टे के आवेदक को स्वीकृति के लिए एक खनन योजना और एक प्रगामी खान समापन योजना प्रस्तुत करनी होती है। आवेदक को वायु, जल प्रदूषण की

[9] उपायुक्त द्वारा रैयती भूमि पर खनन पट्टों की स्वीकृति।

रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है।

खनन पट्टा स्वीकृति आदेश, खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करने के 30 दिनों के अन्दर जारी किया जाता है। प्रारंभिक व्यय, सुरक्षित जमा और वित्तीय आश्वासन से संबंधित राशि जमा करने पर, स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है, अन्यथा स्वीकृति आदेश निरस्त माना जाता है। इसके पश्चात, आवेदक को खनन कार्य शुरू करने से पहले जेएसपीसीबी से स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने जिम्स पोर्टल (नवंबर 2023) पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना से पाया कि राज्य में लघु खनिजों के कुल 599 पट्टे परिचालन में थे।

छह जिला खनन कार्यालयों[10] द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचनाओं की जाँच से पता चला कि 2017-22 के दौरान लघु खनिजों के 89 खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे। इन 89 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 40 मामलों (लेखापरीक्षा अवधि में स्वीकृत किए गए कुल पट्टों का 45 प्रतिशत) का जाँच किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 79 अन्य मामलों का भी जाँच किया, जहाँ खनन पट्टे 2017 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ये पट्टे या तो परिचालन में थे या लेखापरीक्षा अवधि (2017-22) के दौरान नवीकृत किए गए थे। नमूना जाँचित जिलों में खनन पट्टों का विवरण **तालिका-2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1: नमूना जाँचित जिलों में लघु खनिज पट्टों का 31 मार्च 2022 का विवरण

जिला	31 मार्च 2022 तक परिचालित लघु खनिज पट्टों की संख्या	2017-2022 के दौरान स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या	2017-22 के दौरान स्वीकृत खनन पट्टों में से नमूना जाँचित पट्टों की संख्या	2017 से पूर्व आवंटित पट्टों में से नमूना जाँचित पट्टों की संख्या (चयनित पट्टों में से)
चाईबासा	11	00	00	10
चतरा	13	03	02	08
धनबाद	62	12	12	12
पाकुड़	51	24	07	20
पलामू	54	30	04	21
साहिबगंज	78	20	15	08
कुल	**269**	**89**	**40**	**79**
नमूना जाँचित कुल खनन पट्टे			**119**	

स्रोत: जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

[10] चाईबासा, चतरा, धनबाद, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

इन 119 मामलों के जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 44 मामलों में खनन पट्टों के स्वीकृति में विभिन्न अनियमितताएं पाई, जिन्हें **तालिका-2.2** में दर्शाया गया है तथा आगामी कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

तालिका-2.2: लघु खनिजों की स्वीकृति में अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	जिला	मामलों की संख्या
1	उपायुक्त तीन हेक्टेयर से अधिक रैयती भूमि[11] पर खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे मामलों में खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया था। **(कंडिका 2.1.1.1)**	साहिबगंज	1
2	खनन पट्टा वहाँ प्रदान किया गया जहाँ जि.ख.प. ने स्वतः आवेदित क्षेत्र को कम कर दिया था। **(कंडिका 2.1.1.2)**		1
3	झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5(3) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध, वन भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। **(कंडिका 2.1.2)**	पलामू	7
		चतरा	1
4	अनिवार्य दस्तावेजों के अपूर्ण सेट पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। **(कंडिका 2.1.3)**	चाईबासा	4
		चतरा	4
		धनबाद	6
		पाकुड़	4
		पलामू	1
		साहिबगंज	11
5		धनबाद	2
		पाकुड़	2
कुल			**44**

2.1.1 पट्टों की अनियमित स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने पत्थर खदानों के पट्टे स्वीकृत करने के संबंध में झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में लगातार परिवर्तन पाया। नियमावली में अवधि-वार परिवर्तन, उनके पट्टा आवेदनों पर प्रभाव तथा उपायुक्त के रैयती भूमि पर खनन पट्टा प्रदान करने के अधिकार का विवरण नीचे वर्णित किया गया है:

- **झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017: 02 मार्च 2017 से 11 दिसंबर 2017 के दौरान**

  (i) पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले रैयती भूमि पर खनन पट्टे हेतु उपायुक्त को आवेदन किया जा सकता था, जो इसे स्वीकृत करने हेतु सक्षम थे।

[11] राजस्व अभिलेख रजिस्टर-2 में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति (व्यक्ति विशेष के स्वामित्व वाली)।

(ii) पाँच हेक्टेयर से अधिक रैयती भूमि पर पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन जो संशोधन के प्रभावी होने तक लंबित था उसे अयोग्य माना जाएगा केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ आशय का पत्र निर्गत किया गया था, इन शर्तों के साथ कि आवेदक को 1 सितंबर 2017 से 180 दिनों के अंदर खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।

- **झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017: 12 दिसंबर 2017 से 13 मार्च 2019 के दौरान**

(i) पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की रैयती भूमि पर खनन पट्टे के लिए उपायुक्त को आवेदन किया जा सकता था एवं वे इसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम थे।

(ii) खनन पट्टों के लिए सभी लंबित आवेदन अयोग्य माने गए चाहे उनका क्षेत्रफल कुछ भी हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ आशय का पत्र निर्गत था, इन शर्तों पर कि आवेदक को अधिसूचना की तिथि अर्थात् 12 दिसंबर 2017 से 180 दिनों के भीतर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।

- **झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019: 14 मार्च 2019 से वर्तमान तक**

(i) उपायुक्त केवल तीन हेक्टेयर तक की रैयती भूमि पर पत्थर, मोरम और मिट्टी के खनन पट्टे स्वीकृत कर सकते हैं।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 62 के प्रावधानों के तहत, आवेदक आवेदन की अस्वीकृति की समीक्षा के लिए खान आयुक्त के समक्ष अस्वीकृति आदेश के 60 दिनों के अन्दर या स्वतः अस्वीकृति के 75 दिनों के अन्दर अपील कर सकता है।

जि.ख.प., साहिबगंज में पट्टा अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने दो मामले देखे जहाँ लघु खनिजों के लिए पट्टे अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए थे, जो नीचे वर्णित हैं:

2.1.1.1 तीन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर खनन पट्टे की अनियमित स्वीकृति

एक आवेदक ने 4.74 हेक्टेयर रैयती भूमि पर पत्थर खनन पट्टे के लिए आवेदन (सितंबर 2017) किया था, जिसके लिए जि.ख.प., साहिबगंज ने आशय का पत्र जारी किया था (अक्टूबर 2017)। इस बीच, झा.ल.ख.स. नियमावली में दूसरा संशोधन जारी किया गया (12 दिसंबर 2017), जिसके तहत आवेदक को आशय का पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिनों के अन्दर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करना था। चूँकि आवेदक 11 जून 2018 की नियत तिथि तक खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करने में विफल रहा, अतः आवेदन स्वतः

अस्वीकृत हो गया (जून 2018)। हालाँकि, स्वतः अस्वीकृत होने के बावजूद आवेदक ने सीआ में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अक्टूबर 2019 में आवेदन किया, जो नवंबर 2019 में स्वीकृत कर दिया गया।

इस बीच, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1)(ङ) को पुनः संशोधित किया गया (28 सितंबर 2020 से प्रभावित), जिसमें कहा गया कि यदि आशय का पत्र जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा नहीं होने के कारण खनन पट्टा का आवेदन पत्र का निपटारा नहीं किया जा सका, और यदि देरी के लिए आवेदक की कोई गलती नहीं है, तो खान आयुक्त मामले की मेरिट के आधार पर आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

आवेदक ने खान आयुक्त, झारखण्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका (अक्टूबर 2020) दायर किया, जिन्होंने समीक्षा के बाद, मामले को इस निर्देश के साथ उपायुक्त, साहिबगंज को वापस भेज दिया (22 दिसंबर 2020) कि वे मामले की नए सिरे से जाँच करें, बशर्ते कि झा.ल.ख.स. नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक स्वीकृति प्रस्तुत की गयी हो। खान आयुक्त के निर्देशों के जवाब में, उपायुक्त, साहिबगंज ने जि.ख.प., साहिबगंज द्वारा दिया गया (दिसंबर 2020) प्रस्ताव टिप्पणी के आधार पर खनन पट्टा स्वीकृत किया (फरवरी 2021)। तत्पश्चात, 08 अप्रैल 2021 से 07 अप्रैल 2031 तक की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया (अप्रैल 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदक ने आवेदन को स्वतः अस्वीकृत होने के बाद समीक्षा याचिका दायर किया था, जिसे उपायुक्त, साहिबगंज को मामले की नए सिरे से जाँच करने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया। तथापि, जि.ख.प., साहिबगंज ने आदेश की गलत व्याख्या किया और दर्ज किया कि आयुक्त ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं माना और प्रस्ताव टिप्पणी उपायुक्त को भेज दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब आवेदक की ओर से हुआ था क्योंकि उसने 10 महीने बीत जाने के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया था (अक्टूबर 2019) जबकि आवेदन पहले ही स्वतः अस्वीकृत हो चुका था। इस प्रकार, जि.ख.प., साहिबगंज ने उपायुक्त, साहिबगंज को भेजे गए अपने प्रस्ताव टिप्पणी में गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने आयुक्त के आदेशों का अभिप्राय/विषयवस्तु की जाँच किए बिना (फरवरी 2021) पट्टा स्वीकृत कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि झा.ल.ख.स. (संशोधन) निमावाली, 2019 के नियम 9(1) के अनुसार, उपायुक्त तीन हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे। तीन हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा का ई-नीलामी किया जाना था। हालाँकि, उपायुक्त, साहिबगंज ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर खनन पट्टा (4.74 हेक्टेयर रैयती भूमि पर) स्वीकृत कर दिया। ई-नीलामी के माध्यम से तीन हेक्टेयर और

उससे अधिक क्षेत्र में पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया का अनुपालन करने से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था।

2.1.1.2 आवेदित क्षेत्र को अनियमित रूप से घटाकर खनन पट्टे की स्वीकृति

एक आवेदक ने 3.136 हेक्टेयर रैयती भूमि पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (02 मार्च 2019), जिसके लिए जि.ख.प., साहिबगंज ने 2.833 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आशय का पत्र जारी किया (जून 2019) और अक्टूबर 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया। खनन पट्टा उपायुक्त, साहिबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया और जि.ख.प., साहिबगंज द्वारा स्वीकृतादेश (जुलाई 2021) निर्गत किया गया। तत्पश्चात, पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया (अगस्त 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) और 14 मार्च 2019 से प्रभावी झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के अनुसार, तीन हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए सभी आवेदन स्वतः अयोग्य हो जाने चाहिए थे और उन क्षेत्रों का पट्टा बन्दोवस्ती ई-नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए था। हालांकि, जि.ख.प., साहिबगंज ने न केवल आवेदन पर विचार किया, बल्कि पट्टा क्षेत्र को कम करने के लिए आवेदक के अनुरोध के बिना ही क्षेत्र को 2.833 हेक्टेयर तक घटा कर आशय का पत्र निर्गत किया। इस प्रकार, आवेदित क्षेत्र को घटाना, ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा प्रदान करने के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए जिला प्रशासन और आवेदक के बीच मिलीभगत का संकेत था। सक्षम उच्च अधिकारियों को गुमराह करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

2.1.2 वन भूमि पर खनन पट्टे की अनियमित स्वीकृति

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5(3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सुरक्षित और संरक्षित वनों पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक पत्र (एफ.सं.11-28/2005-एफसी, भारत सरकार) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व अभिलेखों में वन या जंगल झाड़ के रूप में दर्ज किसी भी भूमि की कानूनी स्थिति केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदली जा सकती। झारखण्ड सरकार भूमि की प्रकृति को अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण करती है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर, अधिसूचना की तिथि से भूमि की प्रकृति को पुराने से बदल कर समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। नया सर्वेक्षण दस्तावेज़ अधिसूचित होने के बाद ही प्रभावी होगा, जिसके बिना ऐसा दस्तावेज़ मान्य नहीं होगा।

जिला खनन कार्यालयों, चतरा और पलामू में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनों के आधार पर पत्थर के आठ पट्टे स्वीकृत किये गए थे, जिनमें भूमि की प्रकृति गैर-मजरुआ परती कदीम, पत्थर पहाड़, टांड़-II, पुरानी परती और धनहर-II बताई गई थी। लेखापरीक्षा ने इन मामलों की जाँच की और पाया कि ये पट्टे जंगल झाड़ की भूमि पर दिए गए थे और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि की श्रेणी में आते थे। इन पट्टों की जाँच का विवरण **तालिका-2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3: वन भूमि पर खनन पट्टों के अनियमित स्वीकृति के मामले

क्र. सं.	पट्टा का विवरण एवं स्वीकृति की तिथि	जिला	अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
अ. लेखापरीक्षा ने अभिलेखों में उपलब्ध ग्रामीणों की शिकायतों के कारण मामले की जाँच किया				
1	रवि शंकर सिंह, मौजा-खरवाडीह, अंचल-छतरपुर, पुराना खाता सं.- 18 एवं प्लॉट सं.- 515	पलामू	पत्थर टांड़-II एवं धनहर-II	पुराने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित कैडेस्ट्रल मानचित्र (वर्ष 1915-16) की जाँच से पता चला कि भूमि की प्रकृति को जंगल झाड़ के रूप में दर्शाया गया था।
2	आशुतोष स्टोन माइंस, मौजा- डालकोमा, अंचल- हंटरगंज, खाता सं.- 31 एवं 34, प्लॉट सं.- 223 एवं 221/238, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 09.06.2014	चतरा	गैर-मजरूआ परती क़दीम[12]	ग्रामीणों की शिकायत पर किए गए अनुमंडल पदाधिकारी (नवंबर 2022) की जाँच प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप में वर्णित थी, किंतु जि.ख.प. ने पट्टाधारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।
ब. लेखापरीक्षा ने उन मामलों की जाँच की, जिनमें अंचल अधिकारी द्वारा भूमि की प्रकृति को बिना अधिसूचित हुए नए सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गलत तरीके से प्रतिवेदित किया गया था				
3	राज कुमार खुराना, मौजा- मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 1480, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 07.08.2013	पलामू	पत्थर	लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू ने बताया कि चार मामलों में भूमि की प्रकृति का पता नहीं चल सका क्योंकि खतियान फटा हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अंचल अधिकारी द्वारा बताई गई भूमि की प्रकृति नई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित थी जिसे अधिसूचित नहीं किया गया था। हालाँकि, पुराने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित कैडेस्ट्रल मानचित्र (वर्ष 1915-16) की जाँच से पता चला
4	चन्द्र भूषण, मौजा- मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 1505 एवं 1507, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 15.02.2016		पत्थर पहाड़	

[12] भूमि की प्रकृति का वर्गीकरण।

क्र. सं.	पट्टा का विवरण एवं स्वीकृति की तिथि	जिला	अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
5	महादेव कंस्ट्रक्शन, मौजा - मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 2751, पट्टा स्वीकृति की तिथि - 21.12.2015	पलामू	पुरानी परती, गैर. आम	कि भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप में दर्शाई की गई थी।
6	अनूप सिंह, मौजा-मुनकेरी, अंचल-छतरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 110, पट्टा स्वीकृति की तिथि-21.12.2015		पहाड़ी	
7	श्याम स्टोन माइंस, मौजा-कर्मकला, पुराना खाता सं.-152, प्लॉट सं.- 994, पट्टा स्वीकृति की तिथि-09.06.2015		पत्थर	इस मामले में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू ने बताया कि नई सर्वेक्षण रिपोर्ट में ज़मीन की प्रकृति जंगल झाड़ (जैसा कि पुरानी सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया था) से बदलकर पत्थर पहाड़ कर दी गई है। हालाँकि, अंचल अधिकारी ने नई सर्वेक्षण प्रतिवेदन, जो अधिसूचित नहीं हुई थी, के आधार पर प्रकृति बताई।
8	रामाशीष सिंह, मौजा - मधेया, अंचल - छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 40, प्लॉट सं.- 653 (आंशिक), स्वीकृति तिथि - 27.02.2016		पत्थर पहाड़	अंचल अधिकारी ने भूमि की प्रकृति को नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पत्थर पहाड़ बताया, जबकि लेखापरीक्षा ने जाँच किया और पाया कि झारभूमि[13] पोर्टल पर अब भी भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप अंकित है।
इन सभी छह मामलों (क्रम संख्या 3 से 8) में भूमि की प्रकृति को एक नई सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे अधिसूचित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2023 तक), के आधार पर गलत बताया गया था, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।				

उपरोक्त के आलोक में राजस्व अभिलेखों में जंगल झाड़ के रूप में दर्ज भूमि की कानूनी स्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन किया जाना, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा यह भी पाया गया कि यद्यपि विभाग ने जटिल खनन प्रक्रिया और अभिलेखों के सरलीकरण के लिए एक स्वचालित प्रणाली (जिम्स) शुरू की थी, लेकिन खनन पट्टे/नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान नहीं की

[13] राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का वेब-पोर्टल।

गई थी। इसके अलावा, भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी विभाग के आकड़ों के साथ जिम्स का एकीकरण भी नहीं था। परिणामस्वरूप, जि.ख.प. खनन पट्टे स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए, भूमि की प्रकृति और उपयोग का पता लगाने हेतु अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर निर्भर थे।

जवाब में, जि.ख.प., पलामू ने बताया (जून 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामलों की जाँच के लिए उपायुक्त, पलामू द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पाया कि सभी सात पट्टे वन भूमि पर अनियमित रूप से प्रदान किए गए थे। इन सात पट्टों में से, एक पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, छह पट्टे निरस्त कर दिए गए, और दोषी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। शेष एक मामले के संबंध में विभाग या जि.ख.प. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.1.3 अनिवार्य दस्तावेजों की अपूर्ण सेट

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1) के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति को लघु खनिजों के खनन पट्टे के लिए नियम 9(2) से 9(8) में निर्धारित दस्तावेजों के एक सेट के साथ आवेदन करना होता था जैसे दो अलग-अलग शपथ पत्र, वैध स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र[14] (आरसीसी), भू-स्वामियों का सहमति पत्र आदि। नियम 9(9) में यह प्रावधान है कि यदि आवेदन के साथ दस्तावेजों का पूरा सेट संलग्न नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उसे पूरी तरह से अस्वीकृत कर देना चाहिए।

सभी छह चयनित जिलों में 119 पट्टा अभिलेखों की नमूना जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि, 30 मामलों में, अनिवार्य दस्तावेजों (**परिशिष्ट-2.1** में वर्णित) के पूरे सेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए गए थे, जैसा कि **तालिका-2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: अनिवार्य दस्तावेजों के अपूर्ण सेट पर पट्टा स्वीकृति

क्र. सं.	जिला	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अनिवार्य दस्तावेजों की पूर्ण सेट संलग्न नहीं थीं
1	चाईबासा	4
2	चतरा	4
3	धनबाद	6
4	पाकुड़	4
5	पलामू	1
6	साहिबगंज	11
कुल		**30**

स्रोत: जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

[14] स्वमिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जि.ख.का. द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है जो प्रमाणित करता है कि आवेदक पर कोई खनन बकाया नहीं है।

इस प्रकार, पूरे दस्तावेज़ों के अभाव में, इन आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी (संबंधित जि.ख.प.) द्वारा प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था। परंतु, यह देखा गया कि दस्तावेज़ों की कमी के बावजूद संबंधित उपायुक्तों द्वारा खनन पट्टे अनियमित रूप से स्वीकृत कर दिए गए।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के अनुसार आवेदकों को पिछले वर्ष के लिए वैध आरसीसी प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन जि.ख.प., झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे, और चार पट्टे उन आवेदकों को स्वीकृत किए गए जिनके पास आवेदन के समय उसी या अन्य जिलों में खनन बकाया था, जैसा कि निम्न कंडिकाओं में वर्णित है:

- जिला खनन कार्यालय, धनबाद में, असित कुमार मंडल और आज़ाद अंसारी ने फरवरी और मार्च 2016 के बीच तीन पत्थर खनन पट्टों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। इन पट्टों के लिए, आवेदनों के साथ तीन हलफनामे प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें दो हलफनामों में, श्री आज़ाद अंसारी (सह-आवेदक) ने घोषित किया था कि उनके पास राज्य में कोई खनन पट्टा नहीं है, तीसरे हलफनामे के मामले में, श्री अंसारी ने कहा कि उनके पास जामताड़ा में एक पट्टा है। इस प्रकार, तीसरे आवेदन के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि श्री अंसारी ने पहले दो आवेदनों के साथ प्रस्तुत अपने पहले दो हलफनामों में गलत घोषणाएं की थीं। तीनों मामलों में आवेदकों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, दो आवेदनों के संबंध में हलफनामे गलत थे और आवेदन आवश्यक आरसीसी द्वारा समर्थित नहीं थे। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(9) के प्रावधानों के तहत इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण तीनों आवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य थे। हालाँकि, जि.ख.प., धनबाद ने आवेदकों को तीनों पट्टे प्रदान कर दिए (अगस्त 2017)। लेखापरीक्षा ने जि.ख.प., जामताड़ा से जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि आवेदन के समय आज़ाद अंसारी पर ₹ 2.97 लाख का बकाया था।

- जिला खनन कार्यालय, धनबाद में एक अन्य मामले में, रामेश्वर महतो ने पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (दिसंबर 2020)। आवेदक के पास बोकारो जिले में एक खनन पट्टा था और उसने एक आरसीसी जमा किया था, लेकिन यह वर्ष 2019-20 के लिए आरसीसी के स्थान पर, जि.ख.प., बोकारो द्वारा जून 2016 में जारी किया गया था। जि.ख.प., धनबाद ने नवीनतम आरसीसी मांगने के बजाय, पुरानी आरसीसी के आधार पर पट्टा प्रदान किया (जनवरी 2022)। लेखापरीक्षा ने बोकारो के जि.ख.प. से अद्यतन जानकारी प्राप्त किया, जिससे पता चला कि आवेदन के समय रामेश्वर महतो पर ₹ 0.76 लाख बकाया था।

- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में मेसर्स ब्लैक डायमंड स्टोन वर्क्स ने फर्म के एक साझेदार, महबुल शेख का आरसीसी संलग्न किए बिना पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (जून 2016)। रजिस्टर IX[15] की जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि श्री महबुल शेख उसी जिले में पंजीकृत दो नीलाम-पत्र वाद में ₹ 10.74 लाख का बकायेदार था। इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक फर्म, मेसर्स ब्लैक डायमंड स्टोन वर्क्स के साझेदारों में से एक उसी जिले में बकायेदार था, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के तहत आवश्यक आरसीसी जमा किए बिना खनन पट्टा स्वीकृत किया गया (सितंबर 2017)। दस्तावेज में कमी थी क्योंकि सह-आवेदक द्वारा आरसीसी जमा नहीं किया गया था, इसलिए आवेदन को सीधे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जि.ख.प. ने प्रावधानों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप बकायेदार को पट्टा स्वीकृत हुआ।

- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में एक अन्य मामले में, मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स ने पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (फरवरी 2016)। प्रस्तुत आवेदन पत्र में, श्री सोमराज भगत को मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स का साझेदार घोषित किया गया था और केवल श्री सोमराज भगत के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। जि.ख.प. ने आवेदन पर कार्रवाई करते समय फर्म के अन्य साझेदारों के बारे में पूछताछ नहीं की और खनन पट्टा स्वीकृत किया (सितंबर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि का सतही अधिकार (जिस पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था) श्री सोमराज भगत और श्री दिलीप कुमार भगत (सोमराज भगत के पिता) के नाम पर था। रजिस्टर IX की आगे जाँच से पता चला कि दिलीप कुमार भगत (फर्म मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स के मालिक के रूप में) दो निलाम-पत्र वाद मामलों (उसी जिले में पंजीकृत) में ₹ 3.99 लाख के खनन बकाये के देनदार थे। इस प्रकार, जि.ख.प. द्वारा आवेदन और स्पष्ट तथ्यों की जाँच में कमियां थीं, जिसके कारण आवेदन के साथ संलग्न अपर्याप्त दस्तावेजों के बावजूद खनन पट्टा अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के अनुसार, झारखण्ड में आवेदकों द्वारा धारित सभी खनन पट्टों की वैध आरसीसी प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, फिर भी, आवेदकों द्वारा धारित पट्टों के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी, जब तक कि आवेदक स्वयं वर्तमान या पूर्व में किसी धारित पट्टे के संबंध में घोषणा प्रस्तुत न करे। आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने की जाँच करने या, यदि उसके पास पहले से ही पट्टे हैं

[15] खनन बकाया की वसूली के लिए दायर किए गए निलाम-पत्र वाद मामलों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिला खनन कार्यालयों में संधारित रजिस्टर, जिसमें वकायेदारों का विवरण, वसूली जाने वाली राशि और दोष की प्रकृति आदि शामिल होते हैं।

और उसने बकाया स्वामिस्व का भुगतान नहीं किया है, तो इसकी जाँच करने की भी कोई प्रणाली नहीं थी।

राज्य में मानवीय या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरसीसी निर्गत करने के लिए केंद्रीकृत/निर्धारित प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टा स्वीकृत करते समय कोई तिर्यक जाँच या नियंत्रण व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण खनन बकाया होने के बावजूद कई बकायेदार नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल थे।

2.2 खनन पट्टों का प्रबंधन

समय-समय पर संशोधित झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार, पाँच हेक्टेयर से अधिक सरकारी और रैयती भूमि पर लघु खनिजों (अनुसूची-2 में उल्लिखित) के पट्टों का विस्तार 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जा सकता था और तीन हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाली रैयती भूमि पर नवीकरण उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाता था।

2.2.1 खनन पट्टों का अनियमित नवीकरण

झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना की तिथि, अर्थात् 2 मार्च 2017 से प्रभावी) के नियम 9(1)(क) में प्रावधान है कि पाँच हेक्टेयर[16] से अधिक रैयती भूमि पर लघु खनिजों (पत्थर, मोरम और मिट्टी) के लिए खनन पट्टा निदेशक, खान द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज के अधीन 6.026 हेक्टेयर रैयती भूमि पर पत्थर खनन का पट्टा, जो 9 अक्टूबर 2017 तक वैध था, उपायुक्त, साहिबगंज के अनुमोदन पर अक्टूबर 2017 में 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया, जबकि उपायुक्त पाँच हेक्टेयर से अधिक रैयती भूमि पर पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे।

अनियमित नवीकरण के कारण सरकारी खजाने को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पट्टा स्वीकृत करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा झा.ल.ख.स. नियमावली के नियम 9(1) के मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

2.2.2 खनन पट्टे का अनियमित निरस्तीकरण

02 मार्च 2017 से प्रभावी, झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1)(घ) के अनुसार, पाँच हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी या रैयती भूमि पर खनन पट्टे स्वीकृति के सभी आवेदन (जो बाद में 12 दिसंबर 2017 से प्रभावी दूसरे संशोधन के माध्यम से चाहे आवेदित क्षेत्र कुछ भी हो, सभी मामलों

[16] राजपत्र अधिसूचना सं. 218 दिनांक 14 मार्च 2019 के द्वारा संशोधित कर यह सीमा तीन हेक्टेयर कर दी गई थी।

पर लागू होंगे) स्वतः अयोग्य माने जाएँगे क्योंकि संशोधित नियमावली में ऐसी खानों के बंदोवस्त केवल ई-नीलामी के माध्यम से होने का प्रावधान है। पुनः, पाँच हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले, खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में नवीकरण हेतु लंबित पट्टों को नियम 9(1)(च) के प्रावधानों के तहत 31 मार्च 2020 तक विस्तार किया जाना था।

जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज में एक पत्थर खनन पट्टे के मामले में पट्टेधारी ने 2.023 हेक्टेयर रैयती भूमि पर खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया था (सितंबर 2017)। यह पट्टा दिसंबर 2017 में समाप्त होने वाला था। उपायुक्त, साहिबगंज ने 1 दिसंबर 2017 को 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण की अनुमति दी, लेकिन बाद में झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली के आलोक में नवीकरण निरस्त कर दिया गया (अगस्त 2018) और अवधि विस्तार केवल 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच हेक्टेयर से कम रैयती भूमि के लिए पट्टों के नवीकरण के मामले में नियमावली (पट्टा अवधि विस्तार) के प्रावधान लागू नहीं थे। इसके अलावा, इस मामले में नवीकरण आदेश (01 दिसंबर 2017) झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली की अधिसूचना (12 दिसंबर 2017) जारी होने से पहले पारित किया गया था। इसलिए, पट्टे के नवीकरण को निरस्त करना अनियमित था और पट्टेधारी को 10 वर्षों के लिए पट्टे के नवीकरण से वंचित कर दिया गया। इस अनियमित कार्रवाई से सरकारी खजाने को शेष सात वर्षों की अवधि के लिए संभावित राजस्व हानि भी हुई क्योंकि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद खान निष्क्रिय रही।

2.2.3 पट्टा अवधि का अनियमित विस्तार

लेखापरीक्षा ने पत्थर खदानों के पट्टे के नवीकरण और पट्टे की अवधि (या पट्टे की अवधि के विस्तार) के संबंध में झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में लगातार बदलाव देखा। नियमावली में अवधि-वार परिवर्तन और नवीकरण के मामलों में पट्टा अवधि पर उनका प्रभाव **तालिका-2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5: झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 का नियम 9(1)(च) एवं (छ) में संशोधन तथा उसका प्रभाव

अवधि	झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1)(च) एवं (छ)		
	उन पट्टों की अवधि निर्धारित करने के लिए लागू, जिनके नवीकरण आवेदन अधिसूचना से पूर्व खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण कालबाधित हो गए।		
	0 से < 3 हेक्टेयर (रैयती भूमि)	≥ 3 और < 5 हेक्टेयर (रैयती भूमि)	सरकारी भूमि एवं 5 हेक्टेयर से अधिक रैयती भूमि
प्रथम संशोधन, 2017 (02 मार्च 2017 से 11 दिसंबर 2017)	पट्टा की मूल अवधि तक	पट्टा की मूल अवधि तक	पट्टा स्वीकृति की मूल/नवीकृत अवधि तक या 31 मार्च 2020 तक जो भी बाद में हो।
द्वितीय संशोधन, 2017 (12 दिसंबर 2017 से 29 सितंबर 2020)	पट्टा स्वीकृति की मूल/नवीकृत अवधि तक या 31 मार्च 2020 तक, जो भी बाद में हो।		
30 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022	स्वीकृत/नवीकृत पट्टे की मूल अवधि तक या 31 मार्च 2022 तक, जो बाद में हो (केवल उन मामलों में जहाँ पट्टे की अवधि का विस्तार 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत किया गया हो)।		

छह चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 78 मामलों में से 44 मामलों की जाँच की, जहाँ 2017-22 के दौरान झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के संशोधित नियम 9(1)(च) और (छ) के तहत पट्टे का अवधि का विस्तार स्वीकृत किया गया था, जैसा कि **तालिका-2.6** में दिखाया गया है।

तालिका-2.6: वर्ष 2017 से 2022 के दौरान विस्तारित खनन पट्टों की संख्या एवं लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच

जिला	खनन पट्टे की संख्या जिसमें 2017-22 के दौरान अवधि विस्तार किया गया	नमूना जाँचित मामलों की संख्या	अयोग्य आवेदकों की संख्या
चाईबासा	02	02	01
चतरा	00	00	00
धनबाद	12	10	10
पाकुड़	39	12	10
पलामू	5	5	05
साहिबगंज	20	15	07
कुल	**78**	**44**	**33**

स्रोत: जिला खनन कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना

जैसा कि **तालिका-2.6** में विस्तृत रूप से बताया गया है, लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना जाँचित जिलों[17] में 44 पत्थर खनन पट्टों में से 33 में (पट्टे की समाप्ति अवधि अगस्त 2014 से दिसंबर 2021 के मध्य) देखा कि पट्टेदारों ने मार्च 2018 और जून 2021 के मध्य यानी झा.ल.ख.स. (प्रथम और द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 की अधिसूचना की तारीख के बाद नवीकरण/विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। इन सभी 33 पट्टेदारों को पट्टा अवधि का विस्तार (31 मार्च 2020 तक और पुन: 31 मार्च 2022 तक) स्वीकृत किया गया था।

झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) के प्रावधानों के अनुसार, पट्टा अवधि का विस्तार केवल उन पट्टेधारियों को अनुमान्य था, जिनके नवीकरण के आवेदन संशोधनों की अधिसूचना की तिथि से पहले दिए गए थे, लेकिन खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति जमा न करने के कारण कालबाधित हो गए थे। इन 33 मामलों में, पट्टेधारियों ने संशोधनों की अधिसूचना की तिथि के बाद नवीकरण/ विस्तार के लिए आवेदन किया था, इसलिए, इन सभी मामलों में विस्तार की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, संबंधित जि.ख.प. ने झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017; झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 और झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन मामलों में पट्टा अवधि का विस्तार दिया (**परिशिष्ट-2.2**)।

परिणामस्वरूप, उपायुक्त के अनुमोदन से पट्टे की अवधि का अनियमित विस्तार हुआ, जो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पट्टा प्रदान करने के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए जिला प्रशासन और आवेदक के बीच मिलीभगत की संभावना को प्रदर्शित करता है।

2.3 अपरिचालित पट्टों का गैर-व्यपगत/निरस्तीकरण

झा.ल.ख.स. नियमावली के साथ संलग्न मॉडल पट्टा अनुबंध प्रपत्र के भाग-VII के नियमों और शर्तों (संख्या 24) के अनुसार, यदि कोई पट्टाधारी, सक्षम अधिकारी या उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए खनन कार्य नहीं करता है, तो उसका पट्टा निरस्त किया जा सकता है।

जिला खनन कार्यालय, चाईबासा में लघु खनिजों (पूर्व में वृहत खनिजों) के दो खनन पट्टों और जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज में पत्थर के दो खनन पट्टों से संबंधित अभिलेखों के साथ पट्टा अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टेधारियों ने 2017-23 की अवधि के दौरान एक से पाँच वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए खनन कार्य नहीं किया था जैसा कि **तालिका-2.7** में दर्शाया गया है।

[17] चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

तालिका-2.7: पट्टों का विवरण जिन्हें समाप्त घोषित किया जाना अपेक्षित था

क्रम संख्या	जिला	पट्टा का नाम	खनिज	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा अवधि	31.03.2023 तक खनन कार्य के बंद रहने की अवधि
1	चाईबासा	मेसर्स मांगी लाल रूंगटा	चाइना क्ले	226.81	15.07.2025 तक	2017-18 से (छह वर्ष)
2		श्री केयूर सिन्हा	क्वार्टज़	39.93	24.07.2009 से 23.07.2039	2017-18 से (छह वर्ष)
3	साहिबगंज	श्री सोमनाथ घोष	पत्थर	4.00	06.02.2017 से 05.02.2027	2020-21 से अब तक (तीन वर्ष)
4		मेसर्स महाकाल स्टोन	पत्थर	6.25	10.01.2022 से 09.01.2032	प्रारंभ से (एक वर्ष)
कुल				**276.99**		

स्रोत: जिला खनन कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया कि दोनों जिलों के जि.ख.प./उपायुक्तों द्वारा उक्त खनन पट्टों को समाप्त घोषित नहीं किया गया या उन पट्टों की निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। फलस्वरूप, कुल 276.99 एकड़ खनिज क्षेत्र में स्थित ये पट्टे निष्क्रिय पड़े रहे, जिससे न केवल राज्य के संभावित राजस्व का अवरोध हुआ, बल्कि खनिज विकास एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों की स्वीकृति

झारखण्ड सरकार ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिए 06 सितंबर 2017 से प्रभावी झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 तैयार किया है। ये नियम तीन हेक्टेयर से कम रैयती भूमि पर मिट्टी, ईंट मिट्टी, मोरम, रेह मिट्टी, रानीगंज टाइल बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर (बोल्डर, बजरी, शिंगल, पत्थर की ईंट, पत्थर का चूरा) को छोड़कर सभी लघु खनिजों पर लागू होने थे (झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के माध्यम से संशोधित)।

निदेशक, खान/उपायुक्त जिला के अन्दर किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा देने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करेंगे, यदि उस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 के प्रावधानों के तहत निदेशक, भूतत्व द्वारा निर्धारित की गई है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी के उद्देश्य से सुझाए गए भूतात्विक मापदंडों और अन्वेषण मानदंडों के अनुसार अन्वेषण कर किसी क्षेत्र में खनिज सामग्री की मौजूदगी निर्धारित करना आवश्यक है। झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 में अन्वेषण के दो चरण यथाः, C2: सामान्य अन्वेषण और उसके बाद C1: विस्तृत अन्वेषण का प्रावधान है।

पुनः, झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 के नियम 6 में प्रावधान है कि किसी क्षेत्र के खनन पट्टा स्वीकृति पर विचार किया जाएगा यदि, सांकेतिक/मापित खनिज संसाधन स्थापित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण (C1) पूरा हो गया है और उस क्षेत्र का भूतात्विक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभाग के पास राज्य में लघु खनिज भंडारों के बारे में कोई विश्वसनीय डेटा नहीं थे। लेखापरीक्षा पृच्छा में विभाग ने बताया कि पहले लघु खनिजों (जो फरवरी 2015 से पहले वृहत खनिज थे) के भंडार का डेटा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में न तो आईबीएम और न ही राज्य सरकार लघु खनिजों की सूची रखती है।

भूतत्व निदेशालय ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान सामान्य (C2) एवं विस्तृत (C1) अन्वेषण के पश्चात लघु खनिजों के 292 ब्लॉक तैयार[18] किए, जिन्हें नीलामी प्रक्रिया के लिए निदेशक, खान को भेजा गया था।

2.4.1 नीलामी प्रक्रिया में विलंब

वर्ष 2018-23 के दौरान तैयार किए गए 292 लघु खनिज ब्लॉकों में से 278 बन्दोवस्ती के लिए उपलब्ध थे, लेकिन केवल 47 पत्थर ब्लॉकों (16 प्रतिशत) के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई और इस अवधि के दौरान सिर्फ 11 मामले (3.77 प्रतिशत) पूरे किए गए। विवरण तालिका-2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.8: 2018-23 के दौरान तैयार किए गए लघु खनिज ब्लॉकों का विवरण

वर्ष	खनिज	वर्ष के प्रारम्भ में नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज ब्लॉक	तैयार किये गए खनिज ब्लॉक की संख्या	वर्ष के दौरान नीलामी के लिए रखे गए उपलब्ध कुल खनिज ब्लॉक	नीलामी में रखे गए खनिज ब्लॉकों की संख्या	उन ब्लॉकों की संख्या जहां नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी
2018-19	पत्थर	**00**	37	**42**	03	01
	सजावटी पत्थर		01		00	00
	अबरख		02		00	00
	क्वार्ट्ज		01		00	00
	अबरख एवं क्वार्ट्ज		01		00	00
	कुल		**42**		**03**	**01**

[18] स्थान और क्षेत्र का पहचान किया; खनिजों के प्रकार और श्रेणी का पहचान किया; खनिज भंडार की मात्रा का अनुमान लगाया आदि।

वर्ष	खनिज	वर्ष के प्रारम्भ में नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज ब्लॉक	तैयार किये गए खनिज ब्लॉक की संख्या	वर्ष के दौरान नीलामी के लिए रखे गए उपलब्ध कुल खनिज ब्लॉक	नीलामी में रखे गए खनिज ब्लॉकों की संख्या	उन ब्लॉकों की संख्या जहां नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी
2019-20	पत्थर	**39**	22	**64**	00	00
	सजावटी पत्थर		02		00	00
	अबरख		01		00	00
	कुल		**25**		**00**	**00**
2020-21	पत्थर	**64**	22	**90**	00	00
	सजावटी पत्थर		04		00	00
	कुल		**26**		**00**	**00**
2021-22	पत्थर	**90**	199	**289**	11	0
	कुल		**199**		**11**	**0**
2022-23	पत्थर	**278**	00	**278**	33	10
	कुल		**00**		**33**	**10**
कुल योग			**292**		**47**	**11**

स्रोत: भूतत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

तालिका-2.8 से स्पष्ट है कि यद्यपि 2018-19 के दौरान 42 खनिज ब्लॉक तैयार किए गए थे, लेकिन केवल तीन मामलों में नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा सकी। इसके अलावा, 2019-21 के दौरान नीलामी के लिए 90 खनिज ब्लॉक उपलब्ध थे, लेकिन इन दो वर्षों के दौरान एक भी मामले में नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इसके अलावा, 2021-23 के दौरान उपलब्ध 289 खनिज ब्लॉकों में से केवल 44 मामलों में ही नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार, विभाग ने नीलामी के लिए तैयार 292 ब्लॉकों में से केवल 47 खनिज ब्लॉकों में नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण 2018-23 के दौरान केवल 11 ब्लॉकों की बन्दोबस्ती हुई। उपलब्ध लघु खनिज ब्लॉकों की विलंब से नीलामी से कार्यशील पट्टों पर दबाव पड़ा और अंततः अवैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिला (जैसा कि **अध्याय 4** में चर्चा की गई है)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामी प्रक्रिया में विलंब और कम प्रतिशत में नीलामी मामलों की शुरूआत और बंदोबस्त का कारण, विभाग द्वारा अनुश्रवण का अभाव और योजना में कमियाँ थी, जिसने चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से नीलामी के प्रभावी संचालन को प्रतिबंधित कर दिया। इससे न केवल राज्य के राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि संभावित रोजगार सृजन और विकास पर भी असर पड़ा।

2.4.2 खनिज भंडारों का गलत आकलन और खनिज ब्लॉकों की दोषपूर्ण नीलामी

47 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 13 मामलों का जाँच किया (10 मामले जहाँ नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और तीन मामले जहाँ नीलामी प्रक्रिया प्रगति पर

थी)। इन 13 मामलों के भूतात्विक भण्डार के आकलन की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों में स्वीकार्य गहराई के निर्धारण में अनियमितताएं थीं (झा.ल.ख.स. नियमावली के अनुसार भूजल के नीचे खनन गतिविधियां स्वीकार्य नहीं है) और भण्डार आकलन में अंकगणितीय त्रुटियां थीं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

(i) दो मामलों[19] में लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन योजना में खनन गतिविधियों की स्वीकार्य गहराई (21 मीटर और 27 मीटर) केंद्रीय भूजल बोर्ड (के.भू.बो.) द्वारा प्रतिवेदित किए गए भूजल स्तर (11.63 मीटर और 5.40 मीटर) से क्रमशः 9.37 मीटर और 21.60 मीटर अधिक थी। इन दोषपूर्ण योजनाओं के आधार पर, विभाग ने भूतात्विक भण्डार का आकलन किया, खनिज ब्लॉक तैयार किया और आगे बन्दोबस्ती के लिए नीलामी आयोजित किया। इस प्रकार, भूजल स्तर की औसत गहराई से नीचे भूतात्विक भण्डार का अनुमान अनियमित था। इन ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देने से असतत् खनन का जोखिम बढ़ा।

(ii) दो पुराने खनिजयुक्त ब्लॉकों[20] में भूतात्विक भण्डार के आकलन में अंकगणितीय त्रुटियां पाई गईं, जहाँ नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- एक मामले में, भूतत्व निदेशालय द्वारा भूतात्विक भण्डार की गणना (फरवरी 2022) गलत तरीके से 72,808.14 घ.मी. के बजाय 7,280.77 घ.मी. के रूप में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप खनिज भंडार का 65,527.37 घ.मी. कम-अनुमान कर दिया गया।
- दूसरे मामले में, पिछले खनन योजना के अनुसार कुल अनुमानित भंडार 1,24,212.22 घ.मी. था। हालाँकि, पहले से उत्खनित मात्रा के कारण भंडार में 1,21,742.13 घ.मी. की कमी आई थी और शेष भंडार केवल 2,470.10 घ.मी. था, लेकिन भूतात्विक भण्डार में इसकी गणना 2,04,491.48 घ.मी. के रूप में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2,02,021.38 घ.मी. का अधिक-अनुमान लगाया गया था।

इस प्रकार, ये दोनों भूतात्विक भण्डार, भण्डार आकलन के मामले में दोषपूर्ण थे। आगे की जाँच से पता चला कि नीलामी, भूतात्विक भण्डार में किए गए संसाधनों के गलत आकलन के आधार पर आयोजित की गई थी, जैसा कि **तालिका-2.9** में दिखाया गया है।

---

[19] बारा भुमारी स्टोन ब्लॉक तथा पनडीया साई स्टोन ब्लॉक।

[20] पनडीया साई स्टोन ब्लॉक और सरमंदा-अ स्टोन ब्लॉक।

तालिका-2.9: प्रमुख मापदंडों पर गलत भूतात्विक भण्डार का वित्तीय प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	खनिज ब्लॉक	
	सरमंदा-अ	पंडीयासाई
भण्डार की सही मात्रा (घ.मी.)	72,808.14	2,470.10
भण्डार की गलत मात्रा (घ.मी.)	72,80.77	2,04,491.48
अंतर (घ.मी.)	65,527.37	(-) 2,02,021.38
अनुमानित भण्डार का मूल्य (भीईआर) (₹ 448.09 प्रति घ.मी.)	(-) 293.62	(+) 905.24
निविदा सुरक्षा (भीईआर का 0.25%)	(-) 0.73	(+) 2.26
अग्रिम भुगतान (भीईआर का 0.5%)	(-) 1.47	(+) 4.53
निष्पादन सुरक्षा (भीईआर का 0.5%)	(-) 1.47	(+) 4.53
कुल वित्तीय प्रभाव; कमी (-) और अधिक (+)	**(-) 3.67**	**(+) 11.32**

स्रोत: भूतात्विक भण्डार का प्रतिवेदन और निविदा का तुलनात्मक विवरण।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भूतात्विक भण्डार के गलत आकलन ने निविदा के प्रमुख मापदंडों के निर्धारित मूल्य को प्रभावित किया जिससे पूरी निविदा प्रक्रिया संदिग्ध हो गई थी। दूसरे मामले में जहाँ वास्तविक खनन योग्य भण्डार केवल 2,470.10 घ.मी. था, यह गलत आकलन गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा, भण्डार के इस तरह के गलत आकलन से अनियमित पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रदान किया जा सकता है जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

2.5 अनुशंसाएँ

सरकार/विभाग

- ***खनन पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली लागू कर सकती है और जिम्स के माध्यम से केंद्रीकृत स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी/प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू कर सकती है। विभाग ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड के साथ जिम्स का एकीकरण सुनिश्चित कर सकती है;***
- ***जंगल झाड़/वन भूमि पर प्रदान किए गए पट्टों को निरस्त कर और ऐसी भूमि की कानूनी स्थिति पुनः बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है;***
- ***राज्य में राजस्व वृद्धि और खनिज विकास के लिए निष्क्रिय पट्टों को निरस्त कर सकती है और खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला सकती है; और***
- ***खनन के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की प्रकृति के बारे में गलत जानकारी देकर अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।***